

सन्दर्भ सं०

/एसआईडीसी/आईए/एचओ/पालिसी-वालयूम-15

दिनांक

—: कार्यालय आदेश:—

निदेशक मण्डल द्वारा दिनांक 30.6.11 को सम्पन्न 274वीं बैठक में निगम के औद्योगिक भूखण्डों के सम्बन्ध में भूखण्डों के उपयोग हेतु दिये जाने वाले समय के विस्तारण के सम्बन्ध में नीति सम्बन्धी एजेण्डा पर विचार करते हुये यह निर्धारित किया है कि दिनांक 31.8.07 के बाद के आबंटियों से आबंटन के 4 वर्ष के बाद इकाई की स्थापना हेतु अतिरिक्त समय तीव्र /अति तीव्र गति क्षेत्रों में आबंटन दर का 15 प्रतिशत प्रतिवर्ष तथा धीमी गति क्षेत्रों में 7.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से समयविस्तारण शुल्क लेते हुये अनुमन्य किया जा सकेगा।

उपरोक्त के अतिरिक्त बोर्ड द्वारा यह भी निर्देशित किया गया है कि किसी भी आबंटन के मामलों में 10 वर्ष के बाद किसी भी परिस्थिति में समयविस्तारण अनुमन्य नहीं किया जाएगा।

कृपया उपरोक्त निर्णय का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए।

(देवी शंकर शर्मा)
अपर प्रबन्ध निदेशक

सन्दर्भ सं० 249-872/एसआईडीसी/आईए/एचओ/पालिसी-वालयूम-15 दिनांक 09.8.11

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

1. अपर प्रबन्ध निदेशक, कैम्प, उ०प्र०रा०औ०वि०नि०लि०, मुख्यालय, कानपुर।
2. समस्त विभागध्यक्ष, उ०प्र०रा०औ०वि०नि०लि०, मुख्यालय, कानपुर।
3. समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक/परियोजना अधिकारी/क्षेत्र प्रबन्धक, उ०प्र०रा०औ०वि०नि०लि०।
4. समस्त अधिकारी/कर्मचारी, (औ० क्षेत्र) उ०प्र०रा०औ०वि०नि०लि०, मुख्यालय, कानपुर।

(देवी शंकर शर्मा)
अपर प्रबन्ध निदेशक